

24.11.21

आज यह पत्रावली सशासन गांकों के संग
 अशियान 2021 केस में द्यापंचामत
 उदार में पेश हुई। वहीगण स्वयं तथा
 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित तथा
 प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता की
 सतर्क जाकर उपस्थित होकर पक्षपात
 के मध्य हुआ राजीनामा पेश किया।
 प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि यदि
 वहीगण द्वारा छोड़े गये अनुच्छेद मुकबिल
 का निर्णय किया जाय है तो प्रतिवादीगण
 को कोई क्षति नहीं है। अतः पक्षपात
 के मध्य राजीनामा होने के कारण यह काद
 पत्र स्वीकार करते हुए वादास्त यदि तहसील
 रावण के पत्र 4K0 के प.नं. 150/32
 मु.नं. 58 के मिला नं. 1.ता 25 कुल
 6.325 हेक्टर कमाण्ड हवि भूमि में

रूपेन्द्र सिंह

Prin/Co

अधिवक्ता



से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज नूमे 31/8/2025
 दिना (3.163 हेनरेपल) में से $\frac{1}{3}$ हिस्से का
 वादी संख्या 1 विक्रमसिंह पुत्र अर्जुनलाल तथा
 $\frac{1}{3}$ हिस्से का वादी संख्या 2 लक्ष्मण सिंह पुत्र
 अर्जुनलाल को खतेगाट ब्रह्म घोषित किया
 जाता है तथा तल्लीबहार बाबाव बाबाव को
 आदेशित किया जाता है कि उसी अनुसार
 बाबाव रिपोर्ट में अमलदास को पत्रावली
 फैसलद्वारा दोहर नमकर से उम हो।


 (अभिलेख)
 उपखण्ड अधिकारी
 घडसाना